संख्याः 540/कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
समस्त जिलाधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2003

विषयः राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण–पत्र ।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रकरण पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों व नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित) में की गयी है । अन्य पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में अंकित है, परन्तु अनुसूची–एक में समाविष्ट वर्ग का सदस्य होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण अनुलग्न नहीं है जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित अनुसूची–दो से आच्छादित होते हैं ।

2– उक्त आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण–सुविधा प्राप्त करने के लिए "जाति प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । अधिनियम की धारा 9 में यह प्राविधानित है कि ऐसा जाति प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति तथा प्रारूप में जारी किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे ।

3– उक्त धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र ज़िलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वाँछित औपचारिकतायें पूर्ण करा कर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा । अनाधिकृत रूप से जारी किये गये प्रमाण पत्रों पर आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाय । शासन द्वारा अनुसूचित

जाति तथा अनुसूचित जन—जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र के प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, जो संलग्न हैं ।

4— अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण—पत्र जारी किये जायें व इस प्रकार जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपर्युक्त अधिनियम के तहत आरक्षण के सम्बन्ध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

5— आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय से सभी सम्बन्धित/सक्षम अधिकारियों, जो आपके अधीनस्थ हों, को अवगत कराने का कष्ट करें तथा विशेष रूप से अपने जनपद के प्रत्येक अपर जिलाधिकारी /सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी /तहसीलदार को सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये ताकि उक्त नीति के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को जाति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने में तथा अनुसन्धान आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
अपर सचिव ।

संख्या: 1540 (1)/कार्मिक—2/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
2— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
3— सचिव, मण्डलायुक्त, उत्तरांचल ।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5— सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(आर० सी० लोहनी)
उप सचिव ।

उत्तरांचल की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/ कुमारी.....
.....सुपुत्र/ सुपुत्री श्री.....
निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....
.....जिला.....उत्तरांचल की.....
.....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जन जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार जाति/ अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गयी है ।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....
/ अथवा उसका परिवार उत्तरांचल के.....तथा
.....तहसील.....ग्राम.....
....जिला.....में सामान्यतया रहता है ।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त/जिला
धिकारी/ सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार ।

उत्तरांचल के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी............................. ....तहसील......................नगर.......................जिला................................ उत्तरांचल की..................................जाति के व्यक्ति हैं । यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी............ ....उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 से आच्छादित नहीं हैं ।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तरांचल ग्राम...............................तहसील...................... नगर..............................जिला........................में सामान्यतया रहता है ।

स्थान

हस्ताक्षर............................

दिनांक

पूरा नाम..........................

मुहर

पदनाम...........................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त/
जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रे/तहसीलदार ।